



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



26 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 118 राँची, मंगलवार,

17 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 फरवरी, 2026

संख्या- 5/आरोप(कोर्ट केस)-15-06-/2025 कां- 738--श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्र०-198/03, गृह जिला पलामू), के अपर समाहर्ता, चास, बोकारो के पद पर कार्यावधि में 1984 सिख दंगे से हुई क्षति के लिए मुआवजा भुगतान से संबंधित गृहमंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-सं०यू०- 13018/46/2005, दिनांक-16.01.2006 के आलोक में बरती गयी अनियमितता के लिये श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया

आरोप- 1984 सिख दंगे में मुआवजा भुगतान से संबंधित गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-सं०यू०-13018/46/2005, दिनांक-16.01.2006 से स्पष्ट है कि पूर्व में मुआवजा भुगतान किये गये लाभुकों को ही भुगतान किया जाना है। श्री जेवियर हेरेंज तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास ने गलत अभिलेख तैयार कर श्री सर्वजीत सिंह कलसी को ₹ 16,30,000/- एवं स्व० सरदुल सिंह कलसी को ₹ 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान किया। संबंधित अभिलेख में उल्लेख किया गया है श्री कलसी को पूर्व में कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में चास में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वास्तविकता में जिला नजारत शाखा से ₹ 48,000/- का पूर्व में श्री कलसी को भुगतान किया गया था। अतः सरकारी निदेश के आलोक में ₹ 4,32,000/- का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि ₹ 71,30,000/- का भुगतान कर दिया गया ।

श्री विष्णु कुमार, तत्कालीन अपर समाहर्ता, चास, बोकारो उक्त भुगतान हेतु जिला स्तर पर दिनांक 29.03.2007 को आहूत बैठक के सदस्य थे एवं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तैयार किये गए भुगतान विवरणी पर उनके द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए उक्त अनियमित भुगतान हेतु बैठक में लिए गए निर्णय के लिए श्री कुमार भी दोषी है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जिला राजस्व शाखा के प्रभारी रहते हुए श्री सरदुल सिंह कलसी को वर्ष 1993 में उपायुक्त, बोकारो के आदेश से किये गये अनुग्रह भुगतान मो० 48,000/-रु० की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, चास को नहीं दी गयी, जिसके कारण मो० 71,30,000/- रु० का अनियमित भुगतान हो गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3754, दिनांक 09.05.2016 द्वारा श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त झाप्र०से० के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी, श्री झा द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-61, दिनांक-21.02.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि- "जिला स्तरीय समिति द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उक्त पत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्णय नहीं लिये जाने के कारण कुल 71,30,000/- रुपये का अनियमित भुगतान हुआ। चूँकि आरोपी भी उक्त समिति के सदस्य थे तथा भुगतान विवरणी पर आरोपी का भी हस्ताक्षर है, अतः आरोपी को भी समिति द्वारा गलत निर्णय लिये जाने के मामले में दोष मुक्त नहीं माना जा सकता है।"

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8662, दिनांक-03.08.2017 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र दिनांक 05.09.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है।

5. श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-772, दिनांक 09.02.2023 एवं पत्रांक-3953, दिनांक 17.07.2023 द्वारा उक्त पेंशन कटौती के दंड के बिन्दु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3481, दिनांक 31.10.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

6. विभागीय संकल्प संख्या-6901, दिनांक- 12.12.2023 के द्वारा श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-198/2003), तत्कालीन अपर समाहर्ता, बोकारो के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 20(बीस) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 10 (दस)वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. श्री विष्णु कुमार के विरुद्ध की जा रही विभागीय कार्यवाही के दौरान ही इनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No. 7208/2016 विष्णु कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 12.02.2020 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया "Petitioner is directed to file amended writ petition, within a period of two weeks." उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No.-7208/2016 Bishnu Kumar Vrs. State of Jharkhand (Amended Writ Petition) दायर किया गया।

8. विभागीय संकल्प संख्या-6901, दिनांक- 12.12.2023 के द्वारा पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने के उपरांत श्री कुमार W.P.(S) No. 7208/2016 विष्णु कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में I.A. दायर किया गया, जिसमें उक्त संकल्प के द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

9. W.P.(S) No.-7208/2016 विष्णु कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 12.08.2024 को पारित न्यायादेश के द्वारा श्री विष्णु कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत कालबाधित मानते हुए विभागीय संकल्प संख्या-6901, दिनांक- 12.12.2023 के द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"-----From a bare reading of the provisions of Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules, it is evident that a departmental proceeding against the employee of the state government cannot be initiated after more than four years after the misconduct has taken place. It is alleged that misconduct took place on 29.03.2007, whereas the petitioner retired on 31.07.2011 and the departmental proceeding was initiated on 9.05.2016. It is evident that the departmental proceeding was initiated after 9 years from the date when the misconduct is alleged to have taken place and after more than four years from the date of retirement of the petitioner.

From the aforesaid facts, it is evident that the departmental proceeding was time barred by limitation.

Learned lawyer appearing on behalf of the respondent-state submitted that show cause was issued to the petitioner on 2.07.2013 itself but issuance of show cause will not amount to initiation of departmental proceeding against the petitioner, as per the ratio laid down in the case of State of Bihar and others Vs. Mohd Idris Ansari (Supra).

The departmental proceeding was initiated after four years from the alleged misconduct and after nine years from the date of retirement of the petitioner.

Accordingly, the impugned order imposing punishment upon the petitioner for deduction of 20 percent of the pension amount which was to be realized in equal installments within 10 years is hereby quashed.

This writ petition is allowed.

The petitioner will be entitled for consequential benefits.

Pending L.A., if any, also stands disposed of."

10. W.P.(S) No.-7208/2016 विष्णु कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग के द्वारा LPA No.-193/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विष्णु कुमार दायर किया गया।

11. LPA No.-193/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विष्णु कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 22.12.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त अपीलवाद को निरस्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"-----6. A perusal of the aforesaid Rule would clearly indicate that in order to attract the applicability of Rule 43(b), the alleged misconduct must have been committed by the concerned employee before four years from the date of issuance of the show cause notice.

7. The said issue has already been settled by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Bihar & Others Vs. Mohd. Idris Ansari reported in 1995 Supp (3) SCC 56 wherein the Hon'ble Supreme Court, taking an identical view, has observed as under:

"So far as the second type of cases are concerned the proof of grave misconduct on the part of the Government servant concerned during his service tenure will have to be culled out by the revisional authority from the departmental proceedings or judicial proceedings which might have taken place during his service tenure or from departmental proceedings which may be initiated even after his retirement in such type of cases. But such departmental proceedings will have to comply with the requirements of Rule 43(b). Consequently a retired government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to the departmental proceedings conducted against him even after his retirement, but such proceedings could be initiated in connection with only such misconduct which might have taken place within 4 years of the initiation of such departmental proceedings against him. In the present case, the respondent retired on 31.1.1993 and the show cause notice was issued on the ground of grave misconduct on 27.09.1993 and not on the ground that service record of the pensioner was not thoroughly satisfactory. It was issued by the State Government as sanctioning authority. It had, therefore to

be read with Rule 43(b). Such notice therefore, could cover any misconduct if committed within 4 years prior to 27.09.1993 meaning thereby it should have been committed during the period from 26.09.1989 upto 31.01.1993 when respondent retired. Only in case of such a misconduct, departmental proceedings could have been initiated against the respondent under Rule 43(b). In such proceedings, if he was found guilty of misconduct he could have been properly proceeded against under Rule 139(a) and (b). On the facts of the present case it must be held, agreeing with the High Court that the notice dated 27.09.1993 invoking powers under Rule 139(a) and (b) was issued wholly on the ground of alleged past misconduct and was not based on the ground that service record of the respondent was not thoroughly satisfactory. So far as that ground was concerned, on a conjoint reading of Rule 43(b) and Rule 139(a) there is no escape from the conclusion that as the alleged misconduct was committed by the respondent prior to 4 years from the date on which show cause notice dated 27.09.1993 was issued, the appellant authority had no power to invoke Rule 139(a) and (b) against the respondent on the ground of proved misconduct. Consequently, it had to be held that proceedings under Rule 139 were wholly incompetent. The High Court was equally justified in quashing the final order dated 13.12.1993 as there is no proof of such a misconduct. No question of remanding the proceedings under Rule 139(a) and (b) would survive as the alleged grave misconduct could not be established in any departmental proceedings after expiry of four years from 1986-87 as such proceedings would be clearly barred by Rule 43(b) proviso (a)(ii). Consequently, the show cause notice dated 27.09.1993 will have to be treated as stillborn and ineffective from its inception. Such a notice cannot be resorted to for supporting any fresh proceedings by way of remand. For all these reasons no case is made for our interference in this appeal. In the result appeal fails and is dismissed. There is no order as to costs"

8. As observed above, the alleged misconduct took place on 29.03.2007 whereas the writ petitioner/respondent retired on 31.07.2011. However, the departmental proceeding was initiated on 09.05.2016 i.e. after nine years from the date of the alleged misconduct. Therefore, as rightly has been held by the learned Writ Court, the same could not have been initiated as being time barred.

9. Consequently, we find no merit in the present appeal and the same is accordingly dismissed."

12. W.P.(S) No.-7208/2016 विष्णु कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा LPA No.-193/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विष्णु कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-22.12.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-6901, दिनांक-12.12.2023 के द्वारा श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-198/2003), तत्कालीन अपर समाहर्ता, बोकारो के विरुद्ध अधिरोपित पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 20 (बीस) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 10 (दस) वर्षों तक करने का दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त झाप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
